बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आई० टी० मैनेजर

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–30 / 2023 4251(S) पटना, दिनांक 22/6/28

श्री सतीश कुमार वैद्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल–02, औरंगाबाद के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यो के उड़नदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :–

1. **गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :–**

(i) पथ के 11वे कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी ।

(ii) पथ के 11वें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5%के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई।

2. **जी०टी० रोड डोभी से घोराघाट पथ**

(i) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EIऔर औसत कुल 40% प्रावधान के विरूद्ध 42.48% पायी गयी है।

(ii) पथ के 7वें कि०मी० GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6% के विरूद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है।

3. **जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ**

(i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75% पायी गयी है।

(ii) पथ के 7वें कि०मी० में SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।

(iii) पथ के 7वें कि०मी० में WMM में 40%प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है।

4. **इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ**

(i) पथ के 3रे कि०मी० में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.31% पायी गयी ।

(ii) पथ के 3रे कि०मी० में WMMमें 40%प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी ।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–6842 (एस) अनु०, दिनांक 10.11.2023 के द्वारा श्री वैद्य से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री वैद्य ने पत्र दिनांक 24.06.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त क्रमांक–1 पर अंकित गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ एवं क्रमांक–3 जी०टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ ही इनसे संबंधित है। अपने अभ्यावेदन में श्री वैद्य द्वारा निम्न तथ्य रखा गया है :–

(i) **गुरूआ से चेरकी भाया बैजुधाम पथ** के संबंध में श्री वैद्य ने अंकित किया है कि उनके द्वारा D.B.M Gr-II एवं SDBC Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप तथा एकरारनामा के शर्तो के साथ संपन्न कराया गया है।

उक्त कार्य के संपन्न होने में लगभग 05 माह के बाद स्थल निरीक्षण उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 द्वारा किया गया था एवं संपादित परत से नमूना एकत्र कर जाँच के लिए भेजा गया था, इस तरह संपादित परत पर लगभग 05 माह के बाद वाहनों के आवागमन होने के बाद उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 द्वारा नमूना एकत्र कर Bituminous Content की जाँच कर प्रतिशतफल विशिष्टि के अनुरूप Bituminous Content कम आना एक प्रावैधिक मान्य तथ्य है, इस संदर्भ में ASTM-D-2172-05 की कंडिका–1 (1.1) अवलोकनीय है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कोलतार में Bitumen Content की जाँच करने पर Bitumen Content का जाँचफल में प्रतिशत घट जाता है। साथ ही उड़नदस्ता द्वारा स्थल से Sample Core Cutter से न लेकर छेनी हथौड़ी से काटकर लिया गया है, छेनी हथौड़ी से काटकर Sample लेने के कारण Sample इधर–उधर बिखर जाता है, जिससे बिटुमीन की सही मात्रा की गणना नहीं हो पाती है।

(ii) जी०टी० रोड से पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ में पायी गयी त्रुटि संख्या–(i), (ii) एवं (iii) के संबंध में श्री वैद्य ने उक्त अंकित तथ्यों के अनुरूप जाँच विधि पर ही प्रश्नचिह्न उठाया है तथा अंकित किया है कि इससे बिटुमीनस की सही मात्रा की गणना नहीं हो पाती है। जहाँ तक FI+EI का प्रश्न है, इस संबंध में TRI पटना के उप निदेशक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि FI+EI 50% भी आने पर Strength पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उड़नदस्ता द्वारा FI+EI 42.48% दिया गया है।

3. श्री वैद्य द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पर विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत **गुरूआ से चेरकी भाया बैजुधाम पथ** के संबंध में पाया गया कि उड़नदस्ता प्रमंडल के द्वारा कार्यो की जाँच कार्य सम्पादन के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य सम्पादन के बाद की जा सकती है। विषयांकित पथ की जाँच कार्य सम्पादन के बाद की गई है। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से कम तथा 3.56% तक पाये जाने पर Tolerance के रूप में स्वीकार्य होगा। उक्त Tolerance की गणना पथ से संग्रहित नमूनों के Bitumen Content Losses के भिन्न परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित है। अतः DBM में Bitumen की औसत मात्रा 3.56% पाए जाने पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

विषयांकित पथ SDBC में Bitumen की औसत मात्रा 4.14% पायी गई। उक्त स्थिति में विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4.19% से कम है। इनके द्वारा कहा गया है कि DBM एवं SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा विशिष्टियों के अनुरूप तथा एकरारनामा के शर्त्तो के अनुसार सम्पन्न कराया गया है एवं कार्य प्रमंडल द्वारा जाँच में अलकतरा की मात्रा सही पायी गयी है। परन्तु इनके द्वारा Hot Mix Plant का Calibration Certificate तथा अलकतरा की जाँच में प्रयुक्त मशीन का Calibration Certificate नहीं दिया गया है। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

जी०टी० रोड से पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ के संबंध में पाया गया कि –

(i) पथ के 7वें कि०मी० में DBM Gr-II में Bitumin का औसत मान 3.75% पायी गयी। विभागीय मार्गदर्शिका में DBM Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4% से कम तथा 3.56%

तक पाये जाने पर Tolerance के रूप में स्वीकार होगा। उक्त Tolerance की गणना सभी संभावित Bituminous Losses के आधार पर की गयी है।

(ii) पथ के 7वे कि०मी० में SDBC Gr-II में Bitumin का औसत मान 3.61% पायी गयी, जो विभागीय मार्गदर्शिका में SDBC Gr-II कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 4.04% से कम हैं। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

(iii) पथ के 7वें कि0मी0 में FI+EI की मान 42.48% तक पायी गयी। FI+EI के संबंध में MoRTH द्वारा अधिकतम सीमा 30% तक निर्धारित है। इस संदर्भ में उप निदेशक, TRI द्वारा परामर्श अंकित किया गया है कि FI+EI का औसत कुलमान 40% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा एवं अधिकतम कुल मान 60% तक पाया जाता है तो उसका पथ की गुणवत्ता पर Marginal effect पड़ेगा। अतः इस आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

अतः मामले के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री वैद्य के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में कार्य दायित्वों के समानुपातिक निर्धारित दिशा–निदेशानुसार श्री सतीश कुमार वैद्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–02, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड।"

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–30 / 2023

पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०) कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–30 / 2023

पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह० / –

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री सतीश कुमार वैद्य, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल–02, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–30/2023 4252 (S) पटना, दिनांक 22/6/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/6/26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Nigrani section-13&14\Dilip Jee\Adhisuchna&k.adesh.docx